



बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

नियोजन सूचना

सेवानिवृत्त "उर्दू अनुवादकों" एवं "सहायक उर्दू अनुवादकों" से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन-पत्र का आमंत्रण

سبکدوش "اردو مترجمین" اور "معاون اردو مترجمین" سے معاہدہ کی بنیاد پر بحالی کے لئے درخواستیں مطلوب

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 तथा आदेश संख्या-3060, दिनांक-06.03.2019 के प्रावधानों के आलोक में "बिहार उर्दू अनुवादक संवर्ग" के सेवानिवृत्त "उर्दू अनुवादकों" एवं "सहायक उर्दू अनुवादकों" को संविदा (Contract) के आधार पर प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला उर्दू कोषांग के रिक्त पदों के विरुद्ध निम्न रूप में नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(1) उर्दू अनुवादक (कुल पद :- 150)

क्र०सं०	विभिन्न कोटि का विवरण	पुरुष	महिला	कुल पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सामान्य/अनारक्षित	38	22	60	संबंधित कोटि की महिलाओं के आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसी कोटि के पुरुष आवेदकों से पद भरा जायगा।
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	11	04	15	
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	17	10	27	
4	अनुसूचित जाति	15	09	24	
5	पिछड़ा वर्ग	12	06	18	
6	अनुसूचित जनजाति	02	00	02	
7	पिछड़ा वर्ग की महिला	00	04	04	
	कुल रिक्त पद	95	55	150	

(2) सहायक उर्दू अनुवादक (कुल पद :- 250)

क्र०सं०	विभिन्न कोटि का विवरण	पुरुष	महिला	कुल पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सामान्य/अनारक्षित	64	36	100	संबंधित कोटि की महिलाओं के आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसी कोटि के पुरुष आवेदकों से पद भरा जायगा।
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	18	07	25	
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	28	17	45	
4	अनुसूचित जाति	25	15	40	
5	पिछड़ा वर्ग	20	10	30	
6	अनुसूचित जनजाति	03	00	03	
7	पिछड़ा वर्ग की महिला	00	07	07	
	कुल रिक्त पद	158	92	250	

यह नियोजन निम्नांकित शर्तों के अधीन होगा :-

1. यह नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 के संगत प्रावधानों के अनुसार होगा।
2. किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।
3. नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही होगा, परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। सेवानिवृत्ति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
5. आवेदन के लिए उम्र सीमा दिनांक-01.08.2019 को अधिकतम 64 वर्ष होगी।
6. संविदा पर नियोजन प्रथमतः एक वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक तथा इसके पूर्व भी समाप्त किया जा सकेगा। अधिकतम उम्र सीमा तक सेवा आवश्यकतानुसार एवं संतोषजनक पाये जाने पर एक-एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।
8. निम्नांकित कोटि के कर्मियों का नियोजन नहीं किया जा सकेगा :-
 - (क) जिन पर निगरानी/विभागीय कार्यवाही का मामला विचाराधीन हो।
 - (ख) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।
 - (ग) जिन पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज हो।
 - (घ) चयन समिति की नज़र में जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम नहीं हों।
 - (ङ) सेवाकाल में जिनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा हो।

9. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात की प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
- (क) संबंधित कार्यालय द्वारा निर्गत पेंशन एवं उपादान आदि से संबंधित स्वकृत्यादेशों की स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (ख) सेवापुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (ग) असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य सक्षमता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (घ) सेवाकाल के अंतिम तीन वर्षों से संबंधित नियंत्री पदाधिकारी (प्रभारी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा कोषांग, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अन्य सक्षम प्राधिकार) द्वारा हस्ताक्षरित चारित्रि।
- (ङ) आरक्षण की दावेदारी की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (च) इस आशय का शपथ-पत्र (मूल में) कि आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निगरानी/विभागीय कार्यवाही तथा कोई गंभीर मामला विचाराधीन नहीं है, साथ ही सेवाकाल में इनका कार्य संतोषजनक रहा है।
10. आवेदन-पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सुरक्षित रहेगा।
11. उपर्युक्त शर्तों के अधीन जो सेवानिवृत्त कर्मी संविदा पर नियोजन के लिए इच्छुक हैं, वे 30.08.2019, संध्या 5 बजे तक विहित प्रपत्र (संलग्न) में अपना आवेदन (सभी वांछित कागजात की प्रतियाँ सहित) कार्यालय में हाथों हाथ या निबंधित डाक द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे :- आवेदन प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाईट :- <http://csd.bih.nic.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन भेजने का पता :

निदेशक, उर्दू निदेशालय, 202, सी० ब्लॉक, आफिसर्स फ्लैट, बेली रोड, पटना-800001

(इम्तियाज़ अहमद करीमी)
निदेशक।

नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

- | | | |
|---|----|-----------------|
| 1. आवेदक का नाम | :— | |
| 2. आवेदित पद का नाम | :— | |
| 3. पिता/पति का नाम | :— | |
| 4. स्थायी पता | :— | |
| 5. पत्राचार का पता | :— | |
| 6. जन्म तिथि | :— | |
| 7. सेवानिवृत्ति की तिथि | :— | |
| 8. शैक्षणिक योग्यता | :— | |
| 9. आरक्षण कोटि | :— | |
| <small>(सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)</small> | | |
| 10. कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं | :— | |
| 11. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम | :— | |
| 12. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/पे-बैंड/
महंगाई भत्ता एवं अन्य कुल प्राप्त होने वाली राशि | :— | |
| <small>(पेंशन स्वीकृत्यादेश आदि की छायाप्रति संलग्न करें)</small> | | |
| 13. वर्तमान में पेंशन की राशि | :— | |
| 14. आवेदक के विरुद्ध उनके सेवाकाल में कोई आरोप
या विभागीय कार्यवाही लंबित है अथवा नहीं? | :— | |
| <small>(इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करें)</small> | | |
| 15. क्या आप सरकारी सेवा के लिए पूर्णतः सक्षम हैं? | :— | |
| <small>(असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संलग्न करें)</small> | | |
| 16. जिला का नाम जहाँ पदस्थापन चाहते हैं | :— | 1. 2. |
| 17. मोबाईल सं० | :— | |

उम्मीदवार का
अभिप्रमाणित
रंगीन फोटो
(दो प्रति)

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारीयों में यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के अस्वीकृत किया जा सकता है तथा मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक :



حکومت بہار
محکمہ کابینہ سکرٹریٹ
اردو ڈائریکٹوریٹ

اطلاع بحالی

سبکدوش "اردو مترجمین" اور "معاون اردو مترجمین" سے معاہدہ کی بنیاد پر بحالی کے لئے درخواستیں مطلوب

محکمہ عمومی انتظامیہ کے عزم نمبر-10000، مورخہ 10.07.2015 اور حکم نامہ نمبر-3060، مورخہ 06.03.2019 میں کئے گئے نظم کے تحت "بہار اردو مترجم کیڈز" کے سبکدوش "اردو مترجمین" اور "معاون اردو مترجمین" کو معاہدے (Contract) کی بنیاد پر بلاک، سب ڈویژن اور ضلع اردو سیل کی خالی اسامیوں پر مندرجہ ذیل طریقے سے بحال کرنے کے لئے درخواستیں طلب کی جاتی ہیں۔

(1) اردو مترجم (کل عہدے = 150)

سلسلہ نمبر	مختلف زمرے کی تفصیل	برائے مرد	خواتین	کل عہدے	کیفیت
۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱	عام (General) / غیر محفوظ (Un-Reserved)	38	22	60	متعلقہ زمرے (Category) کی خواتین کی درخواستیں موصول نہیں ہونے کی صورت میں اسی زمرے کے مرد درخواست دہندگان سے وہ عہدے بھرنے جائیں گے۔
۲	معاشی اعتبار سے کمزور طبقہ	11	04	15	
۳	انتہائی پسماندہ طبقہ	17	10	27	
۴	درج فہرست ذات	15	09	24	
۵	پسماندہ طبقہ	12	06	18	
۶	درج فہرست قبائل	02	00	02	
۷	پسماندہ طبقے کی خواتین	00	04	04	
	کل خالی عہدے	95	55	150	

(2) معاون اردو مترجم (کل عہدے = 250)

سلسلہ نمبر	مختلف زمرے کی تفصیل	برائے مرد	خواتین	کل عہدے	کیفیت
۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱	عام (General) / غیر محفوظ (Un-Reserved)	64	36	100	متعلقہ زمرے (Category) کی خواتین کی درخواستیں موصول نہیں ہونے کی صورت میں اسی زمرے کے مرد درخواست دہندگان سے وہ عہدے بھرنے جائیں گے۔
۲	معاشی اعتبار سے کمزور طبقہ	18	07	25	
۳	انتہائی پسماندہ طبقہ	28	17	45	
۴	درج فہرست ذات	25	15	40	
۵	پسماندہ طبقہ	20	10	30	
۶	درج فہرست قبائل	03	00	03	
۷	پسماندہ طبقے کی خواتین	00	07	07	
	کل خالی عہدے	158	92	250	

یہ بحالی مندرجہ ذیل شرائط کے تحت ہوگی۔

- ۱۔ یہ بحالی محکمہ عمومی انتظامیہ، بہار پٹنہ کے عزم نمبر 10000، مورخہ 10.07.2015 میں کئے گئے نظم کے مطابق ہوگی۔
- ۲۔ کسی عہدہ خاص سے سبکدوش سرکاری ملازم کا انتخاب اسی عہدہ خاص یا اس کے مساوی عہدے پر کیا جاسکے گا۔ اونچی شرح تنخواہ کے عہدے سے سبکدوش سرکاری ملازم کی، معاہدے کی بنیاد پر بحالی، چلی شرح تنخواہ کے عہدے پر نہیں کی جاسکے گی۔
- ۳۔ بحال شدہ ملازمین کو حاصل ہونے والی آخری تنخواہ + سبکدوشی کے وقت آخری تنخواہ پر حاصل مہنگائی بھتہ کے میزان کی رقم میں سے پنشن کی رقم + سبکدوشی کے وقت پنشن کی رقم پر حاصل مہنگائی بھتے کی رقم کو گھٹانے کے بعد جو رقم حاصل ہوگی، وہی ان کا ماہانہ اعزازیہ ہوگا، لیکن پنشن پر مہنگائی بھتہ کی ادائیگی (حسب ضابطہ) ہوتی رہے گی۔ ماہانہ اعزازیہ کی یہ رقم مذکورہ سبکدوش سرکاری ملازم کی معاہدہ بحالی کی مدت میں برسرکار رہنے کی تاریخ تک برقرار رہے گی۔ سبکدوشی اور معاہدے پر بحالی کے درمیان تنخواہ/پنشن نظر ثانی ہو جانے کی حالت میں بھی متعینہ اعزازیہ غیر ترمیمی ہوگا۔
- ۴۔ معاہدے کی بنیاد پر بحال افراد نہ تو سرکاری ملازم تسلیم کئے جائیں گے اور نہ ہی سرکاری ملازمین کو واجب الادا کسی بھی سہولت کے حقدار مانے جائیں گے۔ اس طور پر بحال شخص کے ذریعہ بحالی کے بعد سرکاری ملازمت میں باضابطہ کئے جانے والا دعویٰ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔
- ۵۔ درخواست دہندہ کی عمر کی حد بتاریخ 01.08.2019 کو زیادہ سے زیادہ 64 برس ہوگی۔
- ۶۔ معاہدے پر بحالی اولاً ایک برس کے لئے یا مذکورہ عہدے پر باضابطہ بحالی ہونے تک اور اس کے پہلے بھی ختم کی جاسکے گی۔ زیادہ سے زیادہ عمر تک ملازمت کی توسیع، کام اطمینان بخش پائے جانے کی صورت میں حسب ضرورت ایک ایک سال کے لئے کی جاسکے گی۔
- ۷۔ کام غیر اطمینان بخش پائے جانے کی صورت میں کسی بھی وقت بغیر کسی پیشگی اطلاع کے معاہدہ بحالی ختم کی جاسکے گی۔
- ۸۔ مندرجہ ذیل زمرے کے ملازمین کی بحالی نہیں کی جاسکے گی۔
 - (الف) جن پر نگرانی/محکمہ جاتی کارروائی کا معاملہ زیر سماعت ہو۔
 - (ب) جن پر کوئی سنگین الزام زیر سماعت ہو۔
 - (ج) جن پر کسی بھی طرح کا فوجداری معاملہ درج ہو۔
 - (د) بحالی کمیٹی کی نظر میں جو جسمانی اور دماغی طور پر اہل نہیں ہوں۔
 - (ه) دوران ملازمت جن کا کام اطمینان بخش نہیں رہا ہو۔

۹۔ درخواست فارم کے ساتھ مندرجہ ذیل کاغذات کی کاپیاں منسلک کرنا لازمی ہے۔

(الف) متعلقہ دفتر کے ذریعہ جاری شدہ وظیفہ (Pension) اور حق الخدمت (Gratuity) وغیرہ سے متعلق منظوری ناموں کی خود مصدقہ فوٹو اسٹیٹ کاپی۔

(ب) سروس بک کی مصدقہ فوٹو اسٹیٹ کاپی۔

(ج) سول سرجن کے ذریعہ جاری کردہ ”سندِ صحت و اہلیت“ کی اصل کاپی۔

(د) ملازمت کی مدت کے آخری تین برسوں سے متعلق کنٹرولنگ آفیسر انچارج آفیسر (Incharge Officer) ضلع اردو زبان سیل، ایس۔ ڈی۔ او، بی۔ ڈی۔ او/دیگر اختیار یافتہ اتھارٹی کے ذریعہ دستخط شدہ کارکردگی رپورٹ۔

(ه) ریزرویشن کی دعوے داری کی صورت میں اختیار یافتہ اتھارٹی کے ذریعہ جاری کردہ ”سند ذات“ کی اصل کاپی۔

(و) اس ضمن میں حلف نامہ (Affidavit اصل کاپی) کہ — ”درخواست دہندہ کے خلاف کسی بھی طرح کی نگرانی / محکمہ جاتی کارروائی یا کسی سنگین معاملے میں کوئی کارروائی زیر سماعت نہیں ہے اور دوران ملازمت ان کا کام اطمینان بخش رہا ہے۔“ درخواست کو منظور / نام منظور کرنے کا اختیار اردو ڈائریکٹوریٹ، محکمہ کابینہ سکرٹریٹ، بہار، پٹنہ کو محفوظ رہے گا۔

۱۱۔ مذکورہ بالا شرائط کے تحت جو سبکدوش اردو ملازمین معاہدے پر بحالی کے لئے خواہش مند ہیں وہ 30 اگست 2019ء، شام 5 بجے تک اپنی درخواستیں (سبھی مطلوبہ کاغذات سے ساتھ) دفتر میں دست بدست یا رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعہ ارسال کرنا یقینی بنائیں گے۔

درخواست کا مجوزہ خاکہ اور معلومات محکمہ جاتی ویب سائٹ <http://csd.bih.nic.in> سے بھی download کیا جاسکتا ہے۔

درخواست بھیجنے کا پتہ:- ڈائریکٹر، اردو ڈائریکٹوریٹ، 202، سی. بلاک، آفیسر فلیٹ، ہیلی روڈ، پٹنہ۔ ۸۰۰۰۰۱

امتیاز احمد کریمی

ڈائریکٹر



حکومت بہار
محکمہ کابینہ سکرٹریٹ
اردو ڈائریکٹوریٹ

پاسپورٹ سائز
فوٹو چسپاں کریں
(دو کاپیاں)

بجالی کے لئے درخواست

- : ۱ درخواست دہندہ کا نام
- : ۲ کس عہدے پر بجالی کے لئے درخواست ہے
- : ۳ والد/شوہر کا نام
- : ۴ مستقل پتہ
- : ۵ مراسلت کا پتہ
- : ۶ تاریخ پیدائش
- : ۷ سبکدوشی کی تاریخ
- : ۸ تعلیمی لیاقت
- : ۹ تحفظاتی زمرہ (ریزیرویشن کیٹیگری)
(اختیار یافتہ افسر کے ذریعہ جاری کردہ سند کی مصدقہ کاپی منسلک کریں)
- : ۱۰ دفتر کا نام و پتہ (جہاں سے سبکدوش ہوئے)
- : ۱۱ سبکدوشی کے وقت عہدہ
- : ۱۲ سبکدوشی کے وقت حاصل ہونے والی تنخواہ/پے بینڈ/مہنگائی بھتہ اور:
دیگر کل حاصل ہونے والی رقم
(پیشن منظوری نامہ کی فوٹو اسٹیٹ کاپی منسلک کریں)
- : ۱۳ موجودہ پنشن کی رقم
- : ۱۴ درخواست دہندہ کے خلاف اُن کے دوران ملازمت کوئی الزام یا محکمہ:
جاتی کارروائی التوا میں ہے یا نہیں؟
(اس ضمن میں حلف نامہ منسلک کریں)
- : ۱۵ کیا آپ سرکاری ملازمت کے لئے مکمل طور سے اہل ہیں
(سول سرجن کے ذریعہ جاری شدہ سند صحت منسلک کریں)
- : ۱۶ ضلع کا نام جہاں تقرر چاہتے ہیں
- : ۱۷ موبائل نمبر

اعلانیہ

تصدیق کی جاتی ہے کہ درخواست میں پیش کردہ سبھی اطلاعات میری معلومات میں صحیح اور درست ہیں۔ میرے ذریعہ پیش کردہ اطلاعات میں اگر آئندہ کسی بھی طرح کی تفریق پائی جاتی ہے تو میری امیدداری/بجالی بغیر کسی پیشگی اطلاع کے مسترد کی جاسکتی ہے اور میرے خلاف کارروائی کی جاسکتی ہے۔

درخواست دہندہ کا دستخط

..... : مقام
..... : تاریخ